

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ
					वास्तविक उपलब्धियाँ		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुखद सहारा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विधवा तथा 16 वर्ष या अधिक आयु के परित्यक्ता महिलाओं को राशि 350 प्रतिमाह पेंशन भुगतान की जाती है।	1015600	18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्ता महिलाओं को 350 प्रतिमाह पेंशन	242728	हितग्राही लाभान्वित	1026591
2.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मूल निवासी को राशि रू. 350 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	3584900	6-17 आयु वर्ष के निःशक्त बच्चे अध्ययनरत 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त बौने व्यक्ति	522858	बच्चे लाभान्वित	3600606
3.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को रूपये 20000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	267500	20000 परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता हितग्राही-14000	10250	परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता	213591
4.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60-79 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 350 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वाले के लिए रूपये 650 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1776772	60-79 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के 640000 हितग्राहियों को रू. 350/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों को रू. 650/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान हितग्राही 73000। इसमें रूपये 100 राज्यांश समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से देय होता है।	657145	हितग्राही लाभान्वित	1821831

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ
					वास्तविक उपलब्धियाँ		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 79 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रू. 350/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	566480	40 से 79 वर्ष आयु वर्ग वाली 130000 हितग्राहियों विधवा महिलाओं को 350/- प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	165627	हितग्राही लाभान्वित	596083
6.	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 79 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु विकलांग व्यक्ति के लिये रू. 350/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	148750	18 से 79 वर्ष आयु वर्ग वाले 30000 गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को 350/- प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	32626	हितग्राही लाभान्वित	134272
7.	नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रीक से भुगतान हेतु अनुदान	पेंशन योजनाओं की पेंशन की राशि के भुगतान में पारदर्शिता लाने एवं समय में भुगतान सुनिश्चित करना ।	50000	नगर निगम राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़, भिलाई, बिलासपुर के पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि भुगतान बायोमेट्रीक पद्धति से करने हेतु बैंकों को दिये जाने वाले सेवा शुल्क ।	-		
8.	विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना	(अ) छात्रवृत्तियाँ - निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।	4000	11000 विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदाय करना ।(प्राथमिक स्तर रू. 50, माध्यमिक स्तर रू 60, उच्च स्तर रू 70, स्नातक स्तर रू 125 एवं स्नातकाल्तर स्तर रू 170 प्रति छात्र प्रतिमाह ।	10899	लाभान्वित	3772

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
		(ब) स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान -निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण, प्रशिक्षण , आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था		कुल 20 संस्थाओं को अनुदान देने का लक्ष्य है। भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रू. 2000/- अंतवासी के भरण-पोषण हेतु रू. 600/- प्रति अंतवासी प्रतिमाह कर्मचारियों का वेतन/मानदेय			
		(स) निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रूपये 21000 प्रोत्साहन राशि दिया जाना		प्रतिवर्ष 250 निःशक्त व्यक्तियों को रूपये 21000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करना			
		(द) योजना अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना		250 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना ।			
9.	बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं पुनर्वास	13676	निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना एवं पुनर्वास	2489	व्यक्तियों को प्रशिक्षण	11070
10.	फिजिकल रिफरल रिहबिलीटेशन सेंटर की माना में स्थापना	अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना	9200	500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	198	हितग्राही लाभान्वित	6618
11.	विश्व विकलांग दिवस	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान	1200	सर्वोत्तम निःशक्त व्यक्ति 5001/- सर्वोत्तम नियोक्ता (निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- सर्वोत्तम जिला-शिल्ड	07	पुरस्कार	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां	
					वास्तविक उपलब्धियां			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
12.	प्रमस्तिष्क अंगाघात निःशक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं	9695	सेलेब्रल पाल्सी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी।	4433	हितग्राही लाभान्वित	7272	
13.	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के समन्वय से निगम द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को ऋण वितरण किया जाता है	4000	1. रूपये 50000 तक 5 प्रतिशत ब्याज दर 2. रूपये 50000 से 500000 तक 6 प्रतिशत ब्याज दर 3. रूपये 500000 से उपर 8 प्रतिशत ब्याज दर 4. महिलाओं को ब्याज दर पर 1 प्रतिशत की छुट	226	व्यक्तियों को ऋण	4000	
14.	निःशक्त सामर्थ्य विकास	निःशक्त सामर्थ्य विकास अंतर्गत शारिरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं ट्रायसायकल निःशुल्क प्रदाय किया जाता है	24000	1398 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने का लक्ष्य	4050	हितग्राही को कृत्रिम अंग प्रदान किया गया	22954	
15.	स्थानीय स्तर समिति को सहायता	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल कमेटी का गठन	320	जिलों को रू. 20000 का अंशदान दिया जाता है		अंशदान दिया गया	320	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां	
					वास्तविक उपलब्धियां			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए दंतेवाड़ा तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुर, राजनांदगांव कोरिया, महासमुन्द, कांकेर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना ।	174842	450 बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	198	बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया	99306	
17.	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1000	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु (प्रति किशोर 10000/-) आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी ।	35	किशोरों को पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता	1000	
18.	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	18390	1390 कृत्रिम अंग उपकरण (व्हील चेयर, ट्रायसकल का वितरण) 4103 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (निःशक्त) 875 छात्रवृत्ति (निःशक्त) स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना	24347	लाभान्वित	14825	
19.	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7000	1. प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभवित करना।	475	पुनर्वास	7000	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	कवांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ	
					वास्तविक उपलब्धियाँ			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				2. प्रदेश के भिक्षुओं का पुनर्वास 3. विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवास				
20.	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	12000	20 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । अतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	-	232	11420	हितग्राही लाभान्वित लाभान्वित
21.	उत्थान सब्सिडी योजना	निःशक्त जनों को ऋण पर सब्सिडी	1400	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	-		1400	
22.	अशासकीय संस्थाओं को अंग अनुदान (कृत्रिम अंग उपकरण)	निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय किये जाते हैं ।	3400	1500 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना	1426		3198	लाभान्वित
23.	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	30600	500 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	1047		28316	वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा
24.	अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएँ (भवन निर्माण)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण	3000	बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण	01		2986	बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियाँ	
					वास्तविक उपलब्धियाँ			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
25.	छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत छ.ग. के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में एकबार चयनित तीर्थ यात्रा सुलभ कराना ।	450000	80 प्रतिशत कितग्राही बी.पी.एल अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो ।	36366	वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा सुलभ कराया गया	450000	
26.	तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम	तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पृथक से अधिनियम, वास्तविक आकड़ों के संबंध सर्वे, जनजागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, कार्यशाला इत्यादि कार्य किये जायेंगे ।	4000	1. छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन 2. राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के वास्तविक आकड़ों के संबंध में सर्वेक्षण। 3. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से समन्वय 4. छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के प्रति जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार	-		2773	
27.	बुजुर्गों को संरक्षण	बुजुर्गों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का सुदृढ़ीकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रों की स्थापना	6000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	150	हितग्राही लाभान्वित	4482	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां	
					वास्तविक उपलब्धियाँ			
					भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	
28.	निःशक्तता स्वाभिमान एवं संबल योजना	निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास एवं दीर्घ कालिक आर्थिक अधिकारिता विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता	11000	100 हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रावधान है ।	100	हितग्राही लाभान्वित	10965	
29.	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां	निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	16000	6000 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	3679	विकलांग छात्र/छात्राओं लाभान्वित	11418	
30.	निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान, बौद्धिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक पुनर्वास आर्थिक स्वावलंबन को विकसित करना	2500	माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) सर्वाधिक अंक 5000 एकमुश्त स्नातक/स्नातकोत्तर (कला वाणिज्य विज्ञान) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक 6000 एकमुश्त चिकित्सकीय/तकनीकी/व्यवसायिक 50 प्रतिशत अंक 12000 एकमुश्त प्रदान की जाती है	34	लाभान्वित	951	
31.	निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त सिविल प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन	2500	निःशक्तजन सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रेरित करने आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनका सामाजिक पुनर्वास करना	12	लाभार्थी लाभान्वित	703	
32.	निःशक्तजनों का प्रशिक्षण एवं ऑनलाईन पंजीयन	निःशक्तजनों का शतप्रतिशत प्रमाणीकरण, पात्र निःशक्तजनों का ऑनलाईन पंजीकरण यूनिक आई.डी. नम्बर प्रदान कर डाटाबेस तैयार करना एवं पर्यवेक्षण	10000	एस.एम.एस के माध्यम से आटो अलर्ट प्रेषित किया जाना	-		7922	

निष्पादन बजट वर्ष 2017-18

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2017-18	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	निःशक्त विद्यार्थी के लिये छात्रगृह योजना	निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता एवं अध्ययन का अवसर	2500	40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तजन शिक्षण संस्थान से आवेदक का मूल निवास की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो	-		21
34.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एव उन्हें स्वालंबी बनाने हेतु निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई है	20000	18 वर्ष से 45 वर्ष तक महिलाएं 21 से 45 वर्ष पुरुष(निःशक्त) के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	470	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन	18360
35.	भारतीय कृष्ट निवारक संघ संस्था को अनुदान	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ जांजगीर में स्वैच्छिक संस्था संचालित	1400	कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास	-		994
36.	घरौदा	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय प्रदान करने हेतु घरौदा योजना प्रारंभ किया गया है	20000	4 संभाग में निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करना	150	आवसीय सुविधा	20000
37.	नशाबंदी कार्यक्रम	प्रदेश में नशामुक्ति के पक्ष में मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के विरुद्ध जागरूकता विकसित किया जाना	5610	रैली, पोस्टर, हॉडिंग्स, नाटक, गीत, नृत्य, प्रदर्शनी तथा शासकीय/अशासकीय कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रम	-		4172